नियम 14 फारम सं0 562

सीताराम कुम्भकार
बनाम
श्री वकील मंडल

आदेश पत्रक

देखे अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

आदेश पत्रक ता0..तक जिला धनबाद

एम.पी.वाद सं0 ....570/17

धारा.144 द.प्र.सं.

तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
5.4.17	द.प्र.सं. की धारा–144 के तहत् थाना प्रभारी गोविन्दपुर से अप्राथमिकी सं0. ....12/2017 दिनांक 3-4-2017......प्रतिवेदन प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन में दिया गया है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच भूमि विवाद है, जिसमें पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की सम्भावना बनी हुई है। पुलिस प्रतिवेदन का मैंने अवलोकन किया तथा अवलोकनोपरान्त मैं सन्तुष्ट हूँ की उक्त विवाद को लेकर पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संम्भावना बनी हुई है, जिसका तुरंत रोका जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उभय पक्षों के विरूद्ध द.प्र.सं. की धारा–144 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है। कार्रवाई प्रर्यन्त 60 (साठ) दिनों तक प्रश्नगत् भूमि पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पक्षकारों को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि 10.5.17 ....को 10:30 बजे पूर्वा0 में मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना –अपना कारणपृच्छा दाखिल करें कि क्यों नही धारा–144 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा आपके विरूद्ध सम्पुष्ट किया जाय। **प्रश्नगत भूमि का विवरण** मौजा नं0–198, खाता नं0–03, प्लोट नं0–448 एवं 446 कुल रकवा–57 डी0 मे से 2.5 डी0 चौहद्दी–उत्तर–जगरनाथ मंडल पे0–स्व0 मधु गोराई का प्लोट नं0–143 दक्षिण–भागीरा गोराई का प्लोट नं0–445 ,पुरब–ग्रामीणों के लिए कच्ची सडक, पश्चिम–प्लोट नं0–383 । लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 03/04 अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद। (हस्ताक्षर) 03/04 अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद ।	

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.08.22 16:34:21 +05:30
Location: 192.168.29.44

Scanned with OKEN Scanner